# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-404Ju2024-164 Ridmalram ors Vs Gaiparram etc

---

1. रिडमलराम पुत्र कानाराम
2. स्व. बशीलाल पुत्र कानाराम के कायम मुकामः–
   2.1. मोहनलाल पुत्र स्व. बंशीलाल
   2.2. सुरजाराम पुत्र स्व. बंशीलाल
   2.3. हनुमानराम पुत्र स्व. बंशीलाल
3. जैताराम पुत्र कानाराम
4. नेताराम पुत्र कानाराम
   जातियान– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी।
5. स्व. गणपतराम पुत्र कानाराम के कायम मुकामः–
   5.1. उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम
   5.2. अशोक कुमार पुत्र गणपतराम
   जातियान– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी।
   5.3. अणची पत्नि गणपतराम
   जाति– विशनोई, निवासी उदयनगर, सदरी तहसील लोहावट जिला फलोदी।
   5.4. पप्पू पुत्री गणपतराम पत्नि अशोक कुमार जाति– विशनोई, निवासी खेतोलाई, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।
   5.5. सुशीला पुत्री गणपतराम पत्नि रूपाराम जाति – विशनोई निवासी फिटकासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. गैपरराम पुत्र भागचन्द
2. गुणपतराम पुत्र भागचन्द
   जाति– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा, तहसील लोहावट जिला फलोदी।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब लोहावट जिला लोहावट।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 17 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि**

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री हेमंत सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

# नि र्ण य

**दिनांक : 07 मई 2026**

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 12 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण/प्रत्यर्थी संख्या एक से ग्यारह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 एवं 92-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ढेलाणा तहसील फलोदी वर्तमान नवीन तहसील लोहावट में रेस्पोडेंट/वादीगण एवं अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की कदीमी पीढियों से पैतृक काश्त भूमि खेत खसरा नंबर 116 रकबा 101 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी सोयम की निम्न पडौस के बीच स्थित है- उत्तर में खसरा नंबर 115, दक्षिण में खसरा नंबर 99, पूर्व में खसरा नंबर 117, 119 पश्चिम में खसरा नंबर 104 व 115 की भूमि। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट/वादीगण के दादा लाखाराम के पीढियों से पैतृक, कदीमी कब्जा काश्त की भूमि थी। लाखाराम ने अपने जीवनकाल में संवत 1997 में वादग्रस्त भूमि और ग्राम पीलवा तथा ढेलाणा की अपनी कदीमी कब्जा काश्त की भूमियों का अपने सातों ही पुत्रों के बीच बंटवाड़ा कर अलग अलग भूमि बंट में देकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त भूमि कानाराम, भागचन्द पिसरान लाखाराम के हिस्से में आई तथा लाखाराम के अन्य पुत्रों रामूराम, मगनाराम, रणजीताराम, चौखाराम, दलूराम को ग्राम ढेलाणा व पीलवा की जमीन बंट में दी गई। चूंकि प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 1 ता 5 के पिता कानाराम बडे भाई और वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता भागचन्द छोटे भाई होने और दोनों का ही भू प्रबंध के वक्त संयुक्त हिन्दू परिवार होने से भू प्रबन्ध अधिकारियों ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भू पैमाईश के समय भूल से परिवार के कर्ता खानदान बडे भाई कानाराम के नाम वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर छोटे भाई भागचन्द का नाम् गलत तरीके से छोड दिया, जबकि वक्त भू प्रबन्ध एवं लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दोनों भाईयों का संयुक्त हिन्दु परिवार था और दोनों का ही वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त था। वादीगण/रेस्पोडेंट ने वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादीगण के वाद का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 के जरिये वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट के खसरा नम्बर 116 रकबा 101.08 बीघा को रेस्पोडेंट्स ने अपनी व अपीलांट्स की सामलाती पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि बता रहे हैं जो सरासर गलत हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट अपीलार्थीगण के पिता कानाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा कानाराम के फौत होने पर उक्त भूमि कानाराम के वारिसान अपीलांट संख्या 1 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा उक्त भूमि पर अपीलांट्स एवं उनके पूर्वजों को वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट्स का न तो कभी कब्जा काश्त था और न ही आज दिन तक कब्जा काश्त ही हैं। रेस्पोडेंट को उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं था और न ही आज हैं। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व कानाराम का कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में वक्त सेटलमेंट कानाराम के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके पूर्वजों के मध्य बंटवाडा होने के मिथ्या कथन किये गये है। रेस्पोडेंट्स ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया हैं तथा रेस्पोडेंट किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के हकदार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को बिना सुनवाई का मौका दिये, बिना ब्यान परीक्षण करवाये, बिना शहादत सबूत पेश किये एकतरफा आदेश जो पारित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स की ओर से बंशीराम जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा न्यायिक कार्यवाही में भाग लिया जाता था तथा प्रकरण में अधिवक्ता से वाद के विषय में जानकारी लेना इत्यादि सारी विधिक कार्यवाही बंशीराम जी द्वारा की जाती थी। दिनांक 14/04/2021 को बंशीराम का देहांत होने के कारण शेष अपीलांट्स का अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से रह गये। विचारण न्यायालय द्वारा स्व. बंशीराम के वारिसान् को रेकर्ड लिये बिना मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो खारिज करने काबिल है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में बंशीराम जी द्वारा न्यायिक कार्यवाही में भाग लिया जाता था तथा प्रकरण में अधिवक्ता से वाद के विषय में जानकारी लेना इत्यादि सारी विधिक कार्यवाही बंशीराम जी द्वारा की जाती थी। दिनांक 14/04/2021 को अपीलांट बंशीराम का देहांत होने के कारण शेष अपीलांट्स द्वारा अधिवक्ता से संपर्क नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से रह गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17/07/2023 पारित किये गये है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट जेताराम को सर्वप्रथम जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बताने पर हुई। तब अपीलांट्स की ओर से उसी दिन नकल हेतु विचारण न्यायालय के अधिवक्ता के मार्फत समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 29/07/2024 को पेश किया एवं दिनांक 01/08/2024 को नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पो. अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादग्रस्त भूमि वादीगण/रेस्पो. के दादा लाखाराम के पीढियों से पैतृक कदीमी कब्जा काश्त की भूमि थी। लाखाराम ने अपने जीवनकाल में संवत् 1997 में वादग्रस्त भूमि और ग्राम पीलवा तथा ढेलाणा की अपनी कदीमी कब्जा काश्त की भूमियों का अपने सातों ही पुत्रों के बीच अलग अलग भूमि बंट में देकर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त भूमि कानाराम, भागचन्द पिसरान लाखाराम के हिस्से में आई तथा लाखाराम के अन्य पुत्रों रामूराम मगनाराम रणजीताराम चौखाराम दलूराम को ग्राम ढेलाणा व पीलवा की जमीन बंट में दी गई। रेस्पो. संख्या. 1 ता 5 के पिता कानाराम परिवार में बड़े भाई थे और रेस्पो. के पिता भागचन्द छोटे भाई होने और दोनों का ही भू प्रबन्ध के वक्त संयुक्त हिन्दु परिवार होने से भू प्रबन्ध अधिकारियों ने भू पैमाइश के समय भूल से केवल परिवार के कर्ता खानदान बड़े भाई कानाराम के नाम वादग्रस्त भूमि की पैमाइश कर उनके नाम दर्ज थी एवं छोटे भाई भागचन्द का नाम छोड़ दिया, जबकि वक्त भू प्रबन्ध एवं लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दोनों भाईयों का संयुक्त हिन्दु परिवार था और दोनों का ही वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त था। रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई एवं उनकी ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट उम्मेदाराम की ओर से पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट स्थानांतरित होने के बाद अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिससे साबित है कि अपीलांट्स को पत्रावली स्थानांतरित होने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पूर्व से ही जानकारी थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख(ईएक्सपी–10) पर्चा लगान में वादीगण के पिता भागचन्द का नाम है तथा पत्रावली पर उपलब्ध लगान रसीदात(ईएक्सपी–17) मुताबिक वादीगण/रेस्पो. के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की बिगोडी भी अदा किया जाना साबित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाहन द्वारा भी वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया गया है। जिससे यह साबित है कि वक्त बन्दोबस्त में वादीगण के पिता परिवार में छोटे होने से उनका नाम वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज होने से रह गया। विचारण न्यायालय द्वारा मामले मे विरचित प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के उज्र उठाये गये है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.01.2021 के मुताबिक अपीलांट उम्मेदाराम द्वारा पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट स्थानांतरित होने के बाद अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात अपीलांट्स की ओर से मामले में समुचित पैरवी नहीं की गई है जो अपीलांट्स की उदासीनता को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल तकनीकी आधार पर मामले को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में गुणावगुण पर किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

# डिक्री बसीगे अपील

**अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर**

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-404Ju2024-164 Ridmalram ors Vs Gaiparram etc

| अपीलाण्ट | | रेस्पोंडेण्ट |
|---|---|---|
| 1. रिडमलराम पुत्र कानाराम<br>2. स्व. बशीलाल पुत्र कानाराम के. कायम मुकामः–<br>2.1.मोहनलाल पुत्र स्व. बंशीलाल<br>2.2.सुरजाराम पुत्र स्व. बंशीलाल<br>2.3.हनुमानराम पुत्र स्व. बंशीलाल<br>3. जैताराम पुत्र कानाराम<br>4. नेताराम पुत्र कानाराम<br>जातियान– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी।<br>5. स्व. गणपतराम पुत्र कानाराम के कायम मुकामः–<br>5.1.उम्मेदाराम पुत्र गणपतराम<br>5.2.अशोक कुमार पुत्र गणपतराम<br>जातियान– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा तहसील लोहावट जिला फलोदी।<br>5.3.अणची पत्नि गणपतराम<br>जाति– विशनोई, निवासी उदयनगर, सदरी तहसील लोहावट जिला फलोदी।<br>5.4.पप्पू पुत्री गणपतराम पत्नि अशोक कुमार जाति– विशनोई, निवासी खेतोलाई, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। | ब<br>ना<br>म | 1. गैपरराम पुत्र भागचन्द<br>2. गुणपतराम पुत्र भागचन्द<br>जाति– विशनोई, निवासीगण ग्राम ढेलाणा, तहसील लोहावट जिला फलोदी।<br>3. श्रीमान तहसीलदार साहब लोहावट जिला लोहावट। |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

| | |
|---|---|
| 5.5.सुशीला पुत्री गणपतराम पत्नि रूपाराम जाति – विश्नोई निवासी फिटकासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर। | |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 17 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि**

———— 0 ————

यह अपीले बतारीख 07 मई 2026 बहाजरी अधिवक्ता श्री हेमंत सोलंकी, मिन्जानिब अपीलाण्ट्स, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा राजस्व वाद संख्या 226/2020 (पुराना वाद संख्या 130/2018) गैपरराम व अन्य बनाम रिड़मलराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ——00——) रूपये ——00—————— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ——00———— अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 07 मई 2026 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील<br>2. स्टाम्प वकालतनाम<br>3. इजराय हुक्मनामा<br>4. वकील फीस बाबत<br>मीजान | / | 1. स्टाम्प वकालतनामा<br>2. स्टाम्प अर्जी<br>3. इजराम हुक्मनामा<br>4. मेहनताना वकील<br>मीजान | / |

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर